राजभाषा नीति

–संक्षिप्त परिचय

Official Language Policy

–Brief Introduction

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय यूनियनाइट्स,

यूनियन बैंक हमेशा से राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु सजग और प्रयासशील रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में हम भाषा कार्यान्वयन को बैंकिंग कारोबार के साथ-साथ प्रौद्योगिकी से भी जोड़ते हुए अपनी अग्रणी भूमिका में बने हुए हैं। हाल ही में बैंक ने प्रौद्योगिकी संबंधित कई नवीन पहल किए हैं जिनमें भारतीय भाषाओं को भी जोड़ा गया है। ये पहल ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करते हुए हमारे सम्मानित ग्राहकों को अभूतपूर्व बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का परिचायक हैं।

बैंक की कई एसटीपी जर्नी एवं व्योम तथा व्हाट्सऐप बैंकिंग आदि ई-उत्पाद हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी ग्राहकों के बीच बैंक के छवि निर्माण एवं अपने उत्पादों को पहुंचाने के प्रयासों में हम सफल हुए हैं। भारत की आत्मा गाँवों में बसी है और ग्रामीण जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक तत्पर है। इस मुहिम में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं निश्चय ही सर्वोत्तम साधन हैं।

मेरा मानना है कि बैंक के प्रत्येक स्टाफ सदस्य को मातृभाषा के अतिरिक्त कम-से-कम एक और भारतीय भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मुझे आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बैंक ने **'यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष'** कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में दक्षिणी राज्यों में पदस्थ अन्य प्रांतों के भाषा-भाषी स्टाफ सदस्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावहारिक संवाद प्रशिक्षण देने का बृहत कार्य आरंभ किया गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से परिचित कराने हेतु हमने सहायक साहित्य भी तैयार किए हैं।

मुझे विश्वास है कि राजभाषा के संवैधानिक पहलू के साथ-साथ बैंक की विभिन्न राजभाषा पहल तथा योजनाओं पर केंद्रित यह पुस्तिका एक संदर्भ साहित्य के रूप में सभी स्तर पर सहायक होगी और राजभाषा के प्रयोग को और आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

राजभाषा की हीरक जयंती वर्ष की शुभकामनाओं सहित।

(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

भारत सरकार की राजभाषा नीति

–संक्षिप्त परिचय

OFFICIAL LANGUAGE POLICY

OF GOVERNMENT OF INDIA

–Brief Introduction

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग,

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय यूनियनाइट्स,

हम इस वर्ष राजभाषा की हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। इन 75 वर्षों में राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। यूनियन बैंक में भी राजभाषा कार्यान्वयन को बैंकिंग से जोड़ा गया है। साथ ही वास्तविक रूप से दैनिक काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल किए जा रहे हैं।

भाषा को कारोबार से जोड़ना सदा ही संस्था के हित में होता है। हर भाषा की अपनी विशेषता है, तथापि, हर भाषा का मूल उद्देश्य संप्रेषण है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने काम काज में सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें। इस प्रयोजन से दैनिक काम में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हम अपनी बात ग्राहकों तक आसानी से पहुंचा सकें।

भारत एक बहुभाषी देश है और हमारे संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन सभी भाषाओं के विकास हेतु वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। हमें इस पहल की संकल्पना को समझने की आवश्यकता है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सहोदरी है और हमें इस संकल्पना को अपने राजभाषा कार्य में भी अपनाना चाहिए। बैंकिंग के दैनिक कार्य में क्षेत्रीय भाषा का समावेश न केवल ग्राहक सेवा की दृष्टि से बल्कि कारोबार की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैंकिंग एक सेवा प्रधान क्षेत्र है। हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रणी बने रहना है तो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना एक उत्कृष्ट मार्ग ही नहीं बल्कि अनिवार्य कार्यनीति भी बन जाता है। इस कार्यनीति में संप्रेषण का अपना महत्व है। अत: बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद स्थापित किया जाता है। ग्राहकों को सभी सेवाओं और उत्पादों की सूचना उनकी अपनी भाषा में प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा प्रचार–प्रसार की सामग्री, विज्ञापन और ऑनलाइन सेवाएं अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करने हेतु कारगर प्रयास किए जाते हैं। हमारी मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सऐप बैंकिंग एवं एसएमएस की सुविधा कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। हमें अपने ग्राहकों को इन सभी सुविधाओं की जानकारी देनी चाहिए, ताकि हमारे प्रयासों के सुपरिणाम प्राप्त हो सकें।

आइए हम सही मायनों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए स्वयं को समर्पित करें और बैंक में हिंदी को और भी आगे ले जाएं।

शुभकामनाओं सहित।

संजय रुद्र

(संजय रूद्र)

कार्यपालक निदेशक

राजभाषा नीति – संक्षिप्त परिचय
OFFICIAL LANGUAGE POLICY - Brief Introduction

संरक्षक: **सुश्री ए.मणिमेखलै**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

उप संरक्षक: **श्री संजय रुद्र**
कार्यपालक निदेशक

मार्गदर्शन: **श्री चंद्र मोहन मिनोचा**
मुख्य महाप्रबंधक (मासं)

संपादक: **श्री गिरीश चन्द्र जोशी**
महाप्रबंधक (मासं एवं राभा)

उप संपादक: **श्री अम्बरीष कुमार सिंह**
उप महाप्रबंधक (मासं एवं राभा)

सह संपादन: **श्री विवेकानंद**
सहायक महाप्रबंधक (राभा)

संकलन एवं सहयोग: सुश्री तनीशा शर्मा
प्रबंधक (राभा)

केवल आंतरिक परिचालन हेतु
For Internal Circulation Only

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी राजभाषा नीति/कार्यान्वयन के संदर्भ में संक्षिप्त संकेत हैं। पूर्ण जानकारी/प्रावधानों हेतु कृपया विषय के परिपत्र/मूल स्रोत का संदर्भ लें।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई,
यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र– 400021

प्रकाशन की तिथि – 10.01.2025

मुख्य महाप्रबंधक का संदेश

प्रिय यूनियनाइट्स,

यदि हम आम जन समूह को लक्ष्य कर कोई कार्य करते हैं तो वह निश्चित रुप से फलदायी होता है। बैंकिंग का मुख्य आधार ग्राहक है। ग्राहक की उपस्थिति के बिना बैंकिंग की परिकल्पना ही अधूरी है। बैंक अब हर तबके व क्षेत्र से जुड़ चुकी है। देश की तरक्की बैकिंग को जन सामान्य तक पहुंचाने से ही होगी इस हेतु भाषा आम जन तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम है।

बैंक में राजभाषा में कामकाज की सुस्थापित एवं सुदीर्घ परंपरा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे बैंक द्वारा विकसित कोर राजभाषा सोल्यूशन पोर्टल है। राजभाषा के क्षेत्र में बैंक को तथा हमारे स्टाफ सदस्यों को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। बैंक द्वारा बैंकिंग विषयों पर हिंदी में संदर्भ साहित्य, यूनियन सृजन, यूनियन धारा, क्षेत्रीय कार्यालय एवं अंचल कार्यालय स्तर पर छमाही हिंदी गृह पत्रिकाओं, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में कार्टून पुस्तिका तथा विविध आयाम शृंखला पर पुस्तकों का प्रकाशन का एक लंबा इतिहास रहा है। पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन सभी स्टाफ सदस्यों की रचनाशीलता को बढ़ावा देने के साथ–साथ हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने में भी योगदान कर रहा है।

भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का क्या स्वरुप है उसके विकास के लिए क्या प्रावधान हैं इसका संक्षिप्त उल्लेख इस बुकलेट में प्रस्तुत है। हमारा प्रयास है कि बैंक के हर कर्मचारी को भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी हो। इससे बैंक में हिंदी के प्रयोग, प्रचार, प्रसार को बेहतर ढंग से बढावा मिलेगा। नि:संदेह राजभाषा पर प्रस्तुत यह पुस्तिका संदर्भ स्रोत हेतु एक मील का पत्थर साबित होगी।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इस पुस्तिका को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहें हैं।

आशा है हमारा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

चन्द्र मोहन मिनोचा

(चंद्र मोहन मिनोचा)
मुख्य महाप्रबंधक (मासं)

आमुख: हिंदी व राजभाषा हिंदी

भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। अपने विचार दूसरे तक सही एवं स्पष्ट रुप में पहुंचाने में जो भाषा सफल होती है वही भाषा सरल, सहज, ग्राह्य व लोकप्रिय होती है।

ऐसा कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी और भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी किसी न किसी रुप में पूरे देश में विद्यमान है। चाहे वह उर्दू के साथ घुली मिली हो, पंजाबी के साथ एक रस हुई हो, मराठी–गुजराती के साथ मेल खा गई हो, दक्खिनी हिंदी के रुप में दक्षिण में अपनी पैठ जमा चुकी हो या पूर्वोत्तर तक पहुंची हो। लेकिन यह बोलचाल और परस्पर संवाद की भाषा बनकर स्थापित हुई है।

हिंदी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाएँ तकनीक के साथ–साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं. इसी को ध्यान में रखकर विगत वर्ष की विश्व हिन्दी दिवस की थीम पारम्परिक ज्ञान से डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर हिंदी रखी गई थी। आज हिंदी और कई भारतीय भाषाएँ सभी तकनीकी मंचों पर उपलब्ध हैं जिन पर काम करना काफी सहज एवं आसान है। भारत सरकार ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने हेतु कई ऐप और वेबसाइट आदि विकसित किए हैं, इनमें भाषिणी, लीला प्रवाह तथा कंठस्थ आदि प्रमुख है।

राजभाषा कार्यान्वयन तथा इसके प्रयोग में स्टाफ सदस्यों के मन में आने वाले प्रश्नों तथा चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से इस संदर्भ पुस्तिका का प्रकाशन किए जाने पर विचार किया गया है। हमारे बैंक में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन कितना सुदृढ़ है इसे **हमारे ध्येय वाक्य "हिंदी में बैंकिंग व बैंकिंग में हिंदी"** से ही समझा जा सकता है। हम बैंकिंग को जनता की भाषा में पहुंचाने हेतु तत्पर हैं एवं प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है बैंक द्वारा हिंदी भाषी स्टाफ सदस्यों को क्षेत्रीय भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किए जाने हेतु **यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष** कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह वैश्वीकरण का दौर है और पूरे विश्व की नजर में भारत बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है। वह दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में भारत की भाषाओं की अपनी अलग पहचान होगी।

भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी की दशा, दिशा के लिए जो नीतिगत प्रावधान व प्रयास किए गए हैं उसका संक्षिप्त परिचय इस पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश है। बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयासों और चलाए जा रहे प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं की भी जानकारी का संकलन पुस्तिका में उपलब्ध है जो सुलभ संदर्भ का कार्य करेगी। आशा है यह प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा। फिर भी इसमें और गुणात्माक सुधार हेतु आपके सुझावों का स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित।

(गिरीश चंद्र जोशी)
महाप्रबंधक (मासं एवं राभा)

:: विवरणिका ::

क्र	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत सरकार की राजभाषा नीति– परिचय	7
2.	संवैधानिक प्रावधान	13
3.	संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएं	14
4.	राष्ट्रपति के आदेश 1952,1955 एवं 1960	15
5.	राजभाषा अधिनियम, 1963	16
6.	राजभाषा अधिनियम (संशोधन 1967)	17
7.	राजभाषा संकल्प, 1968	17
8	राजभाषा नियम, 1976	17
9.	संसदीय राजभाषा समिति	20
9.	केंद्रीय हिंदी समिति/केंद्रीय हिंदी निदेशालय	22
10.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	22
11.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	23
12.	राजभाषा शील्ड प्रतियोगिताएं (वार्षिक)	24
13.	बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं	25
14.	बजट संबंधी प्रावधान	30
15.	राजभाषा नीति कार्यान्वयन की मुख्य मदें	31
16.	यूनियन बैंक को प्राप्त शील्ड / पुरस्कार	34
17.	राजभाषा संबंधी अन्य विविध जानकारी	34

ज्ञान किसी भाषा का बंधक नहीं है. भाषा कठिन नहीं बस
परिचित या अपरिचित होती है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति संक्षिप्त परिचय

राजभाषा हिंदी के संदर्भ में ध्यान देने योग्य महत्तवपूर्ण बिन्दु:

हिंदी को राजभाषा का दर्जा	भारतीय संविधान सभा ने दिनांक **14 सितम्बर, 1949** को हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया।
भारत का संविधान तैयार	दिनांक **26 नवम्बर, 1949** को संविधान बन कर तैयार व संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ पारित।
भारतीय संविधान लागू	दिनांक **26 जनवरी, 1950** से पूरे देश में लागू।
हिंदी दिवस	हर वर्ष **14 सितम्बर** हिंदी दिवस के रुप में मनाया जाता है।
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	**प्रथम:** 13–14 नवंबर, 2021, वाराणसी, उत्तर प्रदेश **द्वितीय:** 14–15 सितंबर, 2022, सूरत, गुजरात **तृतीय:** 14–15 सितंबर, 2023, पुणे, महाराष्ट्र **चतुर्थ:** 14–15 सितंबर, 2024, नई दिल्ली
संविधान का स्वरुप	भारत का एक लिखित संविधान है. कुल **8** खण्ड, **25** भाग, **448** अनुच्छेद हैं. इसके अलावा 12 अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं।
संविधान के किस भाग में राजभाषा की चर्चा है.	**भाग 5:** अनुच्छेद **120** एवं **भाग 6:** अनुच्छेद **210** में क्रमश: संसद व विधान मण्डलों के कार्यालयों में भाषा के प्रयोग की चर्चा है। **भाग 17:** अनुच्छेद **343 से 351** तक राजभाषा की चर्चा है. संविधान की आठवीं अनुसूची में देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली **22** भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।
संविधान में राजभाषा की स्थिति	संघ की राजभाषा **हिंदी** (अनुच्छेद 343)
राजभाषा हिंदी की लिपि	देवनागरी लिपि (अनुच्छेद 343)

अंकों का प्रयोग	भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरुप जैसे : **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** (देवनागरी के अंकों को भी मान्यता दी जा सकती है) (अनुच्छेद 343)
राजभाषा के साथ अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान	संविधान लागू होने से **15** वर्षों तक (**26.01.1950** से **25.01.1965** तक) हिंदी व अंग्रेजी साथ साथ चलेगी। अंग्रेजी सह राजभाषा के रुप में रहेगी।
द्विभाषिकता का क्रम	पहले हिंदी फिर अंग्रेजी (दोनों भाषाओं की वर्तनी का आकार समान होना चाहिए)
हिंदीतर भाषी राज्यों में त्रिभाषिकता का क्रम	पहले राज्य की राजभाषा, फिर हिंदी और अंत में अंग्रेजी (सभी भाषाओं की वर्तनी का आकार समान होना चाहिए)
संसदीय राजभाषा समिति का प्रावधान (गठन: 1976)	राज्यसभा से **10** सदस्य एवं लोकसभा से **20** सदस्यों को मिलाकर समिति का गठन किया जाता है। परंपरा के अनुसार तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से संसदीय राजभाषा समिति के कार्यक्षेत्र को चार उप समितियों में बांटा गया है।
राष्ट्रपति के आदेश	वर्ष **1950, 1952** एवं **1960** में आदेश जारी हुए हैं।
राजभाषा अधिनियम, 1963	वर्ष **1963** में बना व **26 जनवरी, 1965** से लागू। इसमें कुल 9 धाराएं हैं। यह भारत संघ के सभी राज्यों पर लागू है। धारा **3(3)** के तहत **14** तरह के दस्तावेज द्विभाषिक रुप में जारी किए जाने का प्रावधान है। वर्ष **1967** में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।
धारा 3 प्रवृत्त होने की तिथि	धारा 3, 26 जनवरी, 1965 से लागू तथा अन्य शेष धाराएं केंद्र सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से।
धारा 5 (1) प्रवृत्त होने की तिथि	10 जनवरी, 1965

धारा 5 (2) प्रवृत्त होने की तिथि	1 अक्तूबर, 1976
धारा 6 प्रवृत्त होने की तिथि	19 मई, 1969
धारा 7 प्रवृत्त होने की तिथि	7 मार्च, 1970
राजभाषा संकल्प	वर्ष **1968** में राजभाषा संकल्प पारित किया गया है।
राजभाषा नियम, 1976	वर्ष **1976** में बने व लागू किए गए नियमों की कुल संख्या **12** है। (ये नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं हैं) वर्ष **1987, 2007** एवं **2011** में इसमें संशोधन किए गए हैं।
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)	देश के हर बड़े नगर में नराकास स्थापित किए जाने का प्रावधान है। ये समितियां भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीन हैं। प्रत्येक **6** माह में एक बैठक का प्रावधान है।
केन्द्रीय हिंदी समिति, भारत सरकार, नई दिल्ली	मुख्यालय: नई दिल्ली में. कार्यकाल: **3** वर्ष. अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष: केन्द्रीय गृह मंत्री, सदस्य सचिव: सचिव राजभाषा विभाग, भारत सरकार
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय	वर्ष **1960** में स्थापित, मुख्यालय दिल्ली में है।
हिंदी अनुवाद ब्यूरो	**1 मार्च, 1971** से कार्यरत. मुख्यालय दिल्ली में है। **हिंदी पत्रिका: ब्यूरो वार्ता**
केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्ने एवं गुवाहाटी के पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हिंदी शिक्षण योजना की मुख्य परीक्षाएं: **प्रबोध** (प्राथमिक स्तर का हिंदी ज्ञान) **प्रवीण** (माध्यमिक स्तर का हिंदी ज्ञान) **प्राज्ञ** (हाई स्कूल स्तर का हिंदी ज्ञान), **पारंगत:** कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में प्रवीण बनने के उद्देश्य से। **हिंदी पत्रिका: समाचार दीपिका**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी पत्रिका	राजभाषा भारती (दिल्ली से प्रकाशित)
भारतीय रिजर्व बैंक की हिंदी पत्रिका	बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन (मुंबई से हर तिमाही प्रकाशित)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गृह पत्रिकाएं	यूनियन सृजन (हिंदी पत्रिका) एवं यूनियन धारा (द्विभाषी पत्रिका) (प्रत्येक तिमाही केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से प्रकाशित)
विश्व हिंदी दिवस:	प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है. (वर्ष 2006 से)
विश्व हिंदी सम्मेलन:	अब तक **12** विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं:

प्रथम: 10–14 जनवरी, 1975 वर्धा, नागपुर

द्वितीय: 28–30 अगस्त, 1976 पोर्ट लुई, मॉरीशस

तृतीय: 28–30 अक्तूबर, 1983, नई दिल्ली

चतुर्थ: 02–04 दिसंबर, 1993, पोर्ट लुई, मॉरीशस

पांचवां: 04–08 अप्रैल, 1996, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो

छठा: 14–18 सितंबर, 1999, लंदन, इंग्लैंड

सातवां: 06–09 जून, 2003, पारामारिबो, सूरीनाम

आठवां: 13–16 जुलाई, 2007, न्यूयार्क, अमेरिका

नौवां: 22–24 सितंबर, 2012, जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका

दसवां: 10–12 सितंबर, 2015, भोपाल, भारत

ग्यारहवां: 18–20 अगस्त, 2018, मॉरीशस

बारहवां: 15–17 फरवरी, 2023, नांदी, फिजी

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

परिवर्धित देवनागरी, देवनागरी वर्णमाला का वह रूप है जिसमें मूल देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक चिह्न (विशेषक चिह्न) जोड़े गए हैं। परिवर्धित चिह्नों को जोड़ने का मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी लिप्यंतरण करते समय अर्थभेदकता की स्थिति में संबंधित भाषा की ध्वनियों का लेखन संभव हो सके।

देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाने के लिए यह अपेक्षित है कि देवनागरी में अन्य भाषाओं की ध्वनियों के सूचक प्रतीक चिह्नों का विकास किया जाए। अतः विभिन्न भाषाओं के भाषा–विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करने के बाद 'परिवर्धित देवनागरी' का विकास किया गया है, जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के साथ–साथ कश्मीरी, बांग्ला, मराठी, ओडिया तथा असमिया भाषाओं के विशिष्ट स्वरों और व्यंजनों के साथ–साथ सिंधी और उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया गया।

देवनागरी लिपि में जिन ध्वनियों के लिए कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है, अर्थात् जो ध्वनियाँ हिंदी भाषा में स्वनिमिक *(Phonemic)* स्तर पर विद्यमान नहीं हैं, उनके लिए ही विशेषक चिह्न निर्धारित किए गए। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं कश्मीरी में ह्रस्व 'ए' और 'ओ' उपलब्ध हैं किंतु देवनागरी में वे स्वनिमिक स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

अनेक भारतीय भाषाओं की वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला के समान है परंतु भाषा विशेष में कुछ वर्णों का उच्चारण सामान्य हिंदी के उच्चारण से भिन्न है। यह भाषाओं के ध्वन्यात्मक व्यतिरेक *(Phonetic Contrast)* का विषय है।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

21 फरवरी को मनाया जाता है (17 नवंबर, 1999 में युनेस्को ने इसे स्वीकृति प्रदान की)

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस	**23 सितंबर** (इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी)
अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस	**30 सितंबर** (24 मई, 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित)

महत्वपूर्ण उपयोगी वेबसाइट–	उपयोगी ऐप
www.samiti.rajbhasha.gov.in	▶ कंठस्थ 2.0 ▶ भाषिणी ▶ लीला–राजभाषा ▶ गूगल ट्रांसलेट ▶ माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ▶ शब्दकोश ▶ सीएसटीटी पब्लिकेशंस (केवल प्ले स्टोर पर) ▶ ई महशब्दकोश
www.rajbhasha.gov.in	
www.narakas.rajbhasha.gov.in	
www.kantasth.rajbhasha.gov.in	
www.cstt.education.gov.in/hi	
www.legislative.gov.in	
www.vishwahindi.com	
www.bhashaindia.com	
www.unionbankofindia.co.in/hindi	
www.shabdkosh.com	
www.translate.google.co.in	
www.translator.microsoft.com	
www.financialservices.gov.in	
hindishabdsindhu.rajbhasha.gov.in	

महत्वपूर्ण यू–ट्यूब चैनल

- *@vishwahindi*
- *@balenduSharmaDadhich*
- *@Hindiaurtakneek*
- @ हमहिंदीमीडियम

हिंदी और कई प्रमुख भारतीय भाषाएं वर्तमान में सभी ऑपरेटिंग प्रणालियों यथा विंडोज़, एन्ड्रॉयड, आईओएस, लाइनक्स आदि पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण 𝕏 हैंडल

- *@RajbhashaVibhag*
- *@UnionBankTweets*
- *@DFS_India*
- *@UNHindi*

संवैधानिक प्रावधान:

राजभाषा हिंदी : पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के लिए गठित संविधान प्रारुप समिति व संविधान सभा द्वारा दिनांक **14 सितम्बर, 1949** को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संविधान को दिनांक **26 नवम्बर, 1949** को अंतिम रुप देते हुए सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें प्रावधान के अनुसार भारत संघ के लिए संविधान दिनांक **26 जनवरी, 1950** से लागू किया गया। भारतीय संविधान में भारत संघ की राजभाषा के रुप में हिंदी को मान्यता देने के संदर्भ में विभिन्न विषयों के साथ चर्चा की गई है। राजभाषा नीति का मुख्य आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, लेकिन सरकार द्वारा जारी निर्देशों, दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान में भाषा के प्रयोग एवं भारत संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में राजभाषा नीति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है :

राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद **347:**

किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। ऐसी भाषा/ भाषाओं को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

अध्याय III: उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा

अनुच्छेद **348:**

उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की भाषा के संबंध में प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा का होगा।

अनुच्छेद **349:**

भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। संविधान के प्रारम्भ से **15** वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना, भाषा संबंधी कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक के लिए राजभाषा आयोग व संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिशों/रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंजूरी के लिए सहमति दे सकेगा।

अध्याय IV: विशेष निदेश

अनुच्छेद **350:**

व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा की गई है। उल्लेख किया गया कि,

350क: मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

350ख: भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था।

अनुच्छेद **351:**

संघ का यह कर्तव्य होगा की वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं

वर्तमान में कुल **22** भाषाएं इस सूची में शामिल है. (ध्यान दें कि इस अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है)। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि **26.01.1950** को आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित **14** भाषाएं सूचीबद्ध थी:

क्रं.	भाषा	अनुसूची में शामिल होने की तिथि
1.	असमिया	**26.01.1950**
2.	बांग्ला	
3.	गुजराती	
4.	हिंदी	
5.	कन्नड	
6.	कश्मीरी	
7.	मलयालम	
8.	मराठी	
9.	उड़िया	
10.	पंजाबी	
11.	संस्कृत	
12.	तमिल	
13.	तेलुगू	
14.	उर्दू	
15.	सिंधी	10.04.1967 – **1967 में 21**वां संशोधन

क्रं.	भाषा	अनुसूची में शामिल होने की तिथि	
16.	कोंकणी	31.08.1992	**1992** में **71**वां संशोधन
17.	मणिपुरी	31.08.1992	
18.	नेपाली	31.08.1992	
19.	बोडो	08.01.2004	**2003** में **92**वां संविधान संशोधन अधिनियम
20.	डोगरी	08.01.2004	
21.	मैथिली	08.01.2004	
22.	संथाली	08.01.2004	

राष्ट्रपति के आदेश 1952, 1955 एवं 1960

राष्ट्रपति का आदेश, **1952**:

राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया।

राष्ट्रपति का आदेश, **1955:**

विविध **7** प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत करने का उल्लेख है।

राष्ट्रपति का आदेश, **1960:**

यह आदेश दिनांक **27.04.1960** से लागू हुआ। इसमें उल्लेख है सरकार यह सुनिश्चित करे कि,

1. भाषा के प्रयोग के लिए एक रुप शब्दावली हो।
2. प्रशासनिक संहिताओं व कार्यविधि साहित्य का हिंदी।
3. प्रशासनिक कर्मचारियों को हिंदी के लिए यथोचित प्रशिक्षण एवं भारतीय भाषाओं में अनुवाद।
4. जनता से पत्र व्यवहार में हिंदी व संबंधित प्रादेशिक भाषा का प्रयोग।
5. गृह मंत्रालय हिंदी के प्रचार प्रसार को समयबद्ध ढंग से बढावा देने हेतु योजना/ कार्यक्रम तैयार करेगा।

(नोट करें कि राजभाषा के विकास हेतु राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों पर तथा संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट/राय के आधार पर समय–समय पर आदेश पारित कर सकते हैं।)

राजभाषा अधिनियम, 1963

वर्ष **1963** में बना व **26 जनवरी, 1965** से लागू. इस अधिनियम में कुल **9** धाराएं हैं।

धारा **1:** यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम कहलाएगा जो **26 जनवरी, 1965** से लागू होगा।

धारा **2:** इसमें हिंदी भाषा की चर्चा है जिसकी लिपि देवनागरी है।

धारा **3: (1)** संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति अर्थात 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी पूर्व की तरह प्रयोग में लाई जाती रहेगी।

धारा **3(3)** के अनुसार 14 तरह के दस्तावेजों जैसे (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशाासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के दोनों सदनों में रखे जाने वाले कागजात, संसद के दोनों सदनों में रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, सूचनाएं व निविदा प्रारुप) के लिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रहेगा, अर्थात ये दस्तावेज द्विभाषिक रुप में जारी किए जाएंगे. (नोट करें कि इन दस्तावेजों को द्विभाषिक जारी करने का उत्तरदायित्व इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।)

धारा **3 (5):** धारा 3 (3) के कागजात द्विभाषिक तब तक जारी होते रहेंगे जब तक हिंदी को अपनी राजभाषा न बनाने वाले राज्य अंग्रेजी को हटाने के लिए अपने विधान मण्डल में इस आशय का संकल्प पारित न कर लें।

धारा **4:** इस धारा के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य के लिए धारा 3 के लागू होने से 10 वर्ष बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। इसमें लोकसभा के 20 व राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे। इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। यह समिति हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। (इस समिति का गठन वर्ष 1976 में हुआ।)

धारा **5:** धारा 5 के अनुसार अब राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित किसी केन्द्रीय अधिनियम आदि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

धारा **6:** राज्य के विधान मंडलों द्वारा पारित किए गए अधिनियमों के हिंदी में अनुवाद को उनका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

धारा **7:** उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या किसी राज्य की राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकेगा।

धारा **8:** धारा 8 के तहत केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

धारा **9:** कतिपय उपबंधों का जम्मू–कश्मीर को लागू न होना: जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं.का.आ. 1123(अ), तारीख 18.03.2023] तथा लद्दाख पुनर्गठन (केंद्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं.का.आ. 3774(अ), तारीख 23.10.2020 द्वारा लोप किया है।

राजभाषा अधिनियम संशोधन 1967

- आगे भी अंग्रेजी सह–राजभाषा के रुप में जारी रहेगी।
- भारत के सभी राज्यों के विधान मंडलों से राजभाषा हिंदी के बारे में सहमति प्राप्त की जाएगी।

राजभाषा संकल्प: 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसे आम जानकारी हेतु दिनांक **18 जनवरी, 1968** को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके तहत सभा ने यह संकल्प किया कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के यथोचित विकास के वचन के साथ इनका सम्मान करते हुए, सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संकल्प में सन्निहित प्रावधानों के तहत विभिन्न कार्यान्वयन मदों के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी कर इसकी प्रगति सुनिश्चित करेगी।

- संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान होना आवश्यक है।
- अखिल भारतीय अथवा उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम से रखने की अनुमति होगी।

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अधिनियम, **1963** की धारा **8** में दिए अधिकार का प्रयोग करते हुए वर्ष **1976** में राजभाषा नियम बनाए गए। कुल नियमों की संख्या **12** है। इनकी जानकारी निम्ननुसार है:

राजभाषा नियमों के प्रावधान (नियम **1** से **12**)

नियम **1:** इन नियमों का नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियम **1976** होगा। भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ये लागू होगा। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

नियम **2:** इस नियम के तहत देश को तीन भाषाई क्षेत्रों में बांटा गया है।

क क्षेत्र: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह (वर्ष 1987 में शामिल) (इन राज्यों की राजभाषा हिंदी है)।

ख क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ एवं दमन दीव और दादर और नागर हवेली (वर्ष–2011)

ग क्षेत्र: उपर्युक्त राज्यों को छोड़कर भारत के शेष सभी राज्य एवं संघशासित प्रदेश।

नियम **3:** नियम 3 में एक राज्य से दूसरे राज्य तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्र किस भाषा में भेजे जाने हैं इसकी व्याख्या है।

नियम **4:** नियम 4 में पत्राचार के संदर्भ में उल्लेख है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, दूसरे कार्यालय और विभागों के बीच परस्पर पत्र किस भाषा में भेजे जाने हैं इसकी व्याख्या है।

नियम **5:** नियम 5 के अनुसार किसी भी क्षेत्र में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे।

नियम **6:** नियम 6 में यह निर्देश दिया गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को द्विभाषिक रुप से जारी किए जाने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी की होगी।

नियम **7:** हिंदी में लिखे या हिंदी में सुस्पष्ट हस्ताक्षरित आवेदन/अपील का जबाब हिंदी में दिया जाए।

नियम **8:** कर्मचारी अपने टिप्पण या मसौदे हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकते हैं। यदि कोई दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का है तभी कर्मचारी उसके हिंदी अनुवाद की मांग कर सकते हैं।

नियम **8(4)** के अनुसार जहां हिंदी में कामकाज करने वाले कर्मचारी उपलब्ध हैं उस शाखा / कार्यालय / विभाग के कुछ कार्यों को हिंदी में किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाता है।

नियम **9:** कर्मचारी के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त की परिभाषा दी गई है: हिंदी में प्रवीणता प्राप्त की परिभाषा:– वह कर्मचारी जिसने मैट्रिक परीक्षा या उसके बराबर की या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो। या–वह कर्मचारी जिसने स्नातक परीक्षा या उसके बराबर की या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। या–कर्मचारी इन नियमों के उपाबद्ध निर्धारित प्रारुप में यह घोषणा करे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

नियम **10:** कर्मचारी के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है:

हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा: वह कर्मचारी जिसने मैट्रिक परीक्षा या उसके बराबर की या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। या–वह कर्मचारी जिसने केन्द्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा या इसके समतुल्य भारत सरकार या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था की कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

या–कर्मचारी इन नियमों के उपाबद्ध निर्धारित प्रारुप में यह घोषणा करे कि उसे हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

10(4): के तहत यदि किसी शाखा/कार्यालय में **80%** से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले हों तो उसे भारत सरकार के गजट में अधिसूचित किया जाता है।

प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों हेतु घोषणा प्रारूप

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनाओं के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित) प्रारूप नियम 9 और 10 देखिए मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ की निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है/मैंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है. (यहाँ कारण दें)

तिथि:

_____ **हस्ताक्षर**

नियम **11:** मैनुअल, संहिता, प्रक्रिया साहित्य आदि तथा नामपट्ट, सूचना पट्ट एवं लेखन सामग्री संबंधी विविध मदें द्विभाषी (हिंदी–अंग्रेजी) होनी चाहिए।

नियम **12:** भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होगा।

राजभाषा नियम (संशोधन) 1987/ 2007/ 2011

वर्ष **1987** (**09.10.1987** से लागू), वर्ष **2007** (अगस्त **2007** से लागू), वर्ष 2011 में राजभाषा नियमों में संशोधन किया गया। इन संशोधनों में नव गठित व अन्य राज्यों को भाषायी क्षेत्रों की सूची में जोड़ा व पुनःस्थापित किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति एवं उप समितियां

संसदीय राजभाषा समिति. (30 सदस्य): गठन वर्ष 1976. संविधान के अनुच्छेद 344 की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत इसका गठन किया गया है। इसमें कुल 30 सदस्य होंगे जिनमें से लोकसभा के 20 व राज्य सभा के 10 सदस्य हैं। इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यह समिति हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपनी सिफ़ारिशों सहित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सुपुर्द करती है। संसदीय राजभाषा समिति का पुनर्गठन लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद किया जाता है। सदस्यों द्वारा परम्परा के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री को अध्यक्ष के रुप में चुना जाता है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष: श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री उपाध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब (समिति द्वारा अभी तक 12 खंडों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं व राष्ट्रपति द्वारा 9 खंडों पर आदेश जारी किए गए हैं) केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से समिति के दायित्व/कार्यक्षेत्र को चार उप समितियों में बांटा गया है।

पहली उप–समिति:

1. श्री भर्तृहरि महताब: उपाध्यक्ष
2. डॉ. दिनेश शर्मा: संयोजक
3. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह: सदस्य
4. श्री रामचन्द्र जांगड़ा: सदस्य
5. श्री कल्याण बनर्जी: सदस्य
6. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी: सदस्य
7. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन: सदस्य
8. श्री सतपाल ब्रह्मचारी: सदस्य
9. श्री राजेश वर्मा: सदस्य

आबंटित विभाग: रक्षा, विदेश, गृह, शिक्षा, कॉर्पोरेट कार्य, पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, रसायन एवं उर्वरक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास, युवा कार्यक्रम खेल, जनजातीय कार्य, अल्पसंख्यक कार्य, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, विधि और न्याय, महिला एवं बाल विकास, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पंचायती राज मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं नीति आयोग।

दूसरी उप–समिति

1. श्री भर्तृहरि महताब–उपाध्यक्ष
2. श्री उज्ज्वल रमण सिंह: संयोजक
3. श्री शंकर लालवानी: सदस्य
4. श्री हरिभाई पटेल: सदस्य
5. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास: सदस्य
6. श्री जियाउर्रहमान: सदस्य
7. डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे: सदस्य
8. श्री कुलदीप इंदौरा: सदस्य
9. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी: सदस्य
10. श्री महाराज संजाओबा लेशंबा: सदस्य

आबंटित विभाग: रेल, सूचना और प्रसारण, संचार, नागर विमानन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल शक्ति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं किसान कल्याण, पृथ्वी विज्ञान, अंतरिक्ष एवं पर्यटन मंत्रालय।

तीसरी उप–समिति

1. श्री भर्तृहरि महताब: उपाध्यक्ष
2. श्री श्रीयुत अप्पा चंदू बारणे: संयोजक
3. श्री सतीश कुमार गौतम: सदस्य
4. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पावन राजेनिबालकर: सदस्य
5. श्री टी.एम. सेल्वागणपति: सदस्य
6. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो: सदस्य
7. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: सदस्य
8. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी: सदस्य
9. श्री नीरज डांगी: सदस्य
10. श्रीमती संगीता यादव: सदस्य

आबंटित विभाग: वित्त, वाणिज्य और उद्योग, भारी उद्योग, इस्पात, वस्त्र, सूक्ष्म, लघु एवं कोयला, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खान, संसदीय कार्य, कौशल विकास और उद्यमिता, आयुष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का कार्यालय। इन उप समितियों द्वारा उपर्युक्त विभागो/मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यरत किसी भी विभाग / संस्था / कार्यालय के निरीक्षण के पूर्व एक प्रश्नावली भेज दी जाती है. उसी के आधार पर भौतिक निरीक्षण एवं कार्यालय प्रमुख से चर्चा की जाती है। समिति के निरीक्षण बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। समिति के महत्व और अधिकारों को प्रशासनिक प्रमुख/कार्यपालक गंभीरता से लेते हैं एवं राजभाषा नीति के अनुपालन तथा हिंदी का प्रयोग बढाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं।

आलेख एवं साक्ष्य उप–समिति

1. श्री भर्तृहरि महताब –अध्यक्ष

2. डॉ. दिनेश शर्मा: सदस्य

3. श्री उज्ज्वल रमण सिंह: सदस्य

4. श्री श्रीयुत अप्पा चंदू बारणे: सदस्य

5. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह: सदस्य

6. श्री शंकर लालवानी: सदस्य

7. श्री सतीश कुमार गौतम: सदस्य

8. सचिव, राजभाषा विभाग: विशेष आमंत्रित

यह उप समिति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक एवं सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों से राजभाषा की प्रगति के संदर्भ में विचार विमर्श करती है।

केन्द्रीय हिंदी समिति, भारत सरकार, नई दिल्ली

गठन: **05.09.1967**. मुख्यालय : नई दिल्ली में. कार्यकाल: **3** वर्ष. अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष: केन्द्रीय गृह मंत्री सदस्य सचिव: सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार।

यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं।

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

अनुच्छेद 351 के अनुसरण में समग्र भारत के संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास करने हेतु भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च, 1960 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं गुवाहाटी में स्थित है।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

स्थापना **1 मार्च, 1971**. मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। स्थापना उद्देश्य: केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया।

हिंदी पत्रिका: ब्यूरो वार्ता

अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रकार:

- त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- उच्चस्तरीय पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति
- विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेंगलूरु केंद्र में)

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

स्थापना: वर्ष 1952

वर्ष 1952 में स्थापना के समय यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। उद्देश्य: केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका कार्यक्षेत्र पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच बांटा गया है: क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्ने एवं गुवाहाटी। हिंदी शिक्षण योजना की मुख्य परीक्षाएं : प्रबोध (प्राथमिक स्तर का हिंदी ज्ञान) प्रवीण (माध्यमिक स्तर का हिंदी ज्ञान) प्राज्ञ (हाई स्कूल स्तर का हिंदी ज्ञान), पारंगत: कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों को पारंगत बनने के उद्देश्य से। हिंदी पत्रिका : समाचार दीपिका

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

देश के हर बड़े नगर में स्थापित किए जाने का प्रावधान है। ये समितियां भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीन हैं। हर **6** माह में एक बैठक का प्रावधान है। ये समितियां तीन स्तरों पर गठित हैं:

1. सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों हेतु

2. भारत सरकार के उद्यमों/उपक्रमों हेतु

3. भारत सरकार के विभागों के लिए

छोटे शहरों में सभी के लिए एक और कुछ शहरों में एक बैंकों के लिए व दूसरी अन्य सभी के लिए भी गठित की जाती है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा नामित उस नगर में कार्यरत संस्थानों में वरिष्ठतम पदाधिकारी होता है और उसकी संस्था ही संयोजक के रुप में भूमिका निभाती है. विभिन्न संस्थाओं, विभागों व बैंकों के नगर में कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी/कार्यालय प्रमुख इस समिति के सदस्य होते हैं।

वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समिति गठन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है। वर्तमान में कुल 531 नराकास हैं। विदेश में नराकास की संख्या 5 है।

राजभाषा शील्ड प्रतियोगिताएं (वार्षिक)

1.राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (2015): पूर्व नाम इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड (अखिल भारतीय वर्ष **1986–1987** से) (बैंकों/उद्यमों, उपक्रमों एवं सरकारी विभागों के लिए पृथक) यह शील्ड पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है:

क. मंत्रालय/विभाग

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

ग. बोर्ड/ट्रस्ट/स्वायत्तनिकाय आदि

घ. राष्ट्रीयकृत बैंक (कुल 6 पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)

ड. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नाम:नराकास सम्मान, तीन क्षेत्र में 2 पुरस्कार, प्रथम व द्वितीय)

च. हिंदी गृह पत्रिका (तीन क्षेत्र में 2 पुरस्कार, प्रथम व द्वितीय)

2. राजभाषा गौरव पुरस्कार: हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 2022–23 से संशोधित गौरव पुरस्कार योजना लागू की गई है। 4 अलग–अलग श्रेणियों में इसके तहत नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र का प्रावधान है।

3. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार: क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों द्वारा हर तिमाही प्रस्तुत की जाने वाली हिंदी प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्यवयन कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधीन कार्यरत कार्यालयों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा शील्ड (समिति सदस्य कार्यालयों के बीच): यह शील्ड पुरस्कार समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन/हिंदी के प्रयोग के लिए उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर समिति के अध्यक्ष (संयोजक बैंक) द्वारा नराकास की बैठक में प्रदान किया जाता है।

5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पत्रिका पुरस्कार:

यह शील्ड समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशित करने वाले कार्यालय को समिति की बैठक में संयोजक कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

6. आंतरिक राजभाषा शील्ड (संस्था स्तर पर अखिल भारतीय): भाषायी क्षेत्र क/ख/ग में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के आधार यह शील्ड पुरस्कार संस्था प्रमुख द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनियन बैंक में वर्ष

1985 से जारी एवं वर्ष 2024–25 से इसका नाम परिवर्तित करके सेठ सीताराम पोद्दार राजभाषा शील्ड किया गया है।

7. अन्तर शाखा राजभाषा शील्ड (वर्ष 1995 से आरंभ): यह शील्ड पुरस्कार यूनियन बैंक में लागू है। एक क्षेत्र की शाखाओं को 4 श्रेणियों में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

8. अन्तर विभागीय राजभाषा शील्ड (वर्ष 2005 से आरंभ): यह शील्ड पुरस्कार यूनियन बैंक में प्रचलित है। केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों के वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

यूनियन बैंक द्वारा लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं :

भारत सरकार की निम्नलिखित हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर देय एकमुश्त प्रोत्साहन

(स्टाफ परिपत्र 5659 दिनांक 08.04.2010 एवं दिनांक 01.01.2010 से लागू)

क्र	उत्तीर्ण करने वाली हिंदी परीक्षा का नाम	क और ख श्रेणी* के कर्मचारियों हेतु	ग और घ श्रेणी* के कर्मचारियों हेतु
1	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	₹ 2000/–	₹ 4000/–
2	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	₹ 2500/–	₹ 5000/–
3	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	₹ 3000/–	₹ 6000/–
4	स्वैच्छिक हिंदी संगठनों द्वारा संचालित की जाने वाली ऐसी परीक्षाएं जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय) ने मैट्रीक्यूलेशन के समकक्ष या उससे ऊंची परीक्षा के रुप में मान्यता दी है.	₹ 3000/–	₹ 6000/–
5	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आयोजित हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	₹ 3000/–	₹ 6000/–
6	हिंदी टंकण / हिंदी आशुलिपि परीक्षा	₹ 2500/–	₹ 2500/–
	पारंगत परीक्षा		
7	(70% अंक प्राप्त करने पर) (60% से 69% अंक प्राप्त करने पर) (55% से 59% अंक प्राप्त करने पर)	₹10000/– ₹8000/– ₹6000/–	
परिपत्र क्रमांक 41/129/2017 दिनांक 22.05.2017			

*उपयुर्क्त प्रयोजन हेतु कर्मचारियों का श्रेणीकरण:

क श्रेणी: ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी और जो अपने विचारों को हिंदी में अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं।

ख श्रेणी: ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कशमीरी या अन्य सहबद्ध भाषाओं में से एक हो।

ग श्रेणी: ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, असमिया, और अन्य सहबद्ध भाषाएं तथा सिंधी में से एक हो।

घ श्रेणी: ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो।

नोट :

1. निजी प्रयासों से उक्त कोई परीक्षा पास करने वाले कर्मचारी को ऊपर उल्लिखित मानदेय का डेढ गुना मानदेय।
2. हिंदी शिक्षण योजना की विभिन्न हिंदी परीक्षाओं में 70 या उससे अधिक अंक पाने वाले कर्मचारी को सामान्य मानदेय का डेढ गुना मानदेय।
3. हिंदी शिक्षण योजना की विभिन्न हिंदी परीक्षाएं निजी प्रयासों से तथा विशेष योग्यता अर्थात 70 या अधिक अंकों के साथ पास करने पर सामान्य मानदेय का दुगुना मानदेय।

1. सेठ सीताराम पोद्दार राजभाषा शील्ड: (वर्ष 1982 से आरंभ एवं समय-समय पर यथा संशोधित): क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु

भाषिक क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रोत्साहन पुरस्कार
क क्षेत्र : शील्ड + नकद पुरस्कार	₹7500/-	₹5000/-	₹2500/-	₹1500/-	₹1500/-
ख क्षेत्र : शील्ड + नकद पुरस्कार	₹7500/-	₹5000/-	₹2500/-	₹1500/-	₹1500/-
ग क्षेत्र : शील्ड + नकद पुरस्कार	₹7500/-	₹5000/-	₹2500/-	₹1500/-	₹1500/-
राजभाषा प्रभारी को प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार	₹5000/-	₹3000/-	₹2000/-	₹1000/-	₹1000/-

अंचल कार्यालयों हेतु

भाषिक क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	राजभाषा प्रभारी को प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार	
			प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार
क क्षेत्र : शील्ड + नकद पुरस्कार	₹7500/-	₹5000/-	₹5000/-	₹3000/-
ख क्षेत्र : शील्ड + नकद पुरस्कार	₹7500/-	₹5000/-	₹5000/-	₹3000/-
ग क्षेत्र : शील्ड + नकद पुरस्कार	₹7500/-	₹5000/-	₹5000/-	₹3000/-

2. अन्तर शाखा राजभाषा शील्ड योजना: (वर्ष 1995 से आरंभ) (क्षेत्र में स्थित शाखाओं हेतु)

वार्षिक कार्यान्वयन के आधार पर	क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शाखा	सर्वश्रेष्ठ महानगरीय/ अत्यधिक बड़ी शाखा	सर्वश्रेष्ठ शहरी/बड़ी शाखा	सर्वश्रेष्ठ अर्धशहरी/ग्रामीण/ मध्यम /छोटी शाखा
शील्ड + नकद पुरस्कार	₹2000/-	₹2000/-	₹1500/-	₹1000/-

3. केन्द्रीय कार्यालय के विभागों हेतु राजभाषा शील्ड योजना: (वर्ष 2005 से शुरु) (के.का के विभागों हेतु)

वार्षिक कार्यान्वयन के आधार पर	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार	प्रोत्साहन पुरस्कार	प्रोत्साहन पुरस्कार
शील्ड + नकद पुरस्कार	₹5000/-	₹3000/-	₹2000/-	₹1000/-	₹1000/-

4. व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना –

विभिन्न विभागों के 32 कार्मिकों को नकद पुरस्कार (स्टाफ परिपत्र संख्या:8075/2023 दिनांक 6 सितंबर, 2023)	**₹1000/- प्रति कार्मिक (अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1300 से अधिक पुरस्कार)**
• **अंचल कार्यालय में पदस्थ स्टाफ हेतु कुल 3 नकद पुरस्कार** • **क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ स्टाफ हेतु कुल 3 नकद पुरस्कार** • **क्षेत्राधीन शाखाओं की संख्या के आधार पर 5-10 व्यक्तिगत नकद पुरस्कार** (बैंक की राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं : अनुदेश परिपत्र क्रमांक:05015:2024, दिनांक:19 जुलाई, 2024 के अनुसार)	

5. कार्यपालकों हेतु हिंदी टिप्पण व आलेखन योजना: (वर्ष 2010 से आरंभ एवं स्टाफ परिपत्र क्रमांक 6525 दिनांक 29.12.2016 द्वारा संशोधित)

वर्ष के दौरान अंचल में तथा केंद्रीय कार्यालय में कार्यपालकों द्वारा हिंदी में सर्वाधिक टिप्पण लेखन हेतु नकद पुरस्कार योजना

प्रत्येक अंचल में	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
अंचलाधीन कार्यालयों/ शाखाओं में पदस्थ कार्यपालकों हेतु	₹5000/-	₹3000/-	₹2000/-
केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों में	₹5000/-	₹3000/-	₹2000/-

6. हिंदी लेख लिखने के लिए प्रोत्साहन योजना: (वर्ष 2010 से शुरु)

(स्टाफ परिपत्र 6258 दिनांक 16.10.2015)

हिंदी पुस्तक (विविध आयाम) के वार्षिक प्रकाशन में अधिक से अधिक कार्मिकों को हिंदी में लेख लिखने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक आधार पर नकद पुरस्कार	प्रत्येक पुस्तक के चयनित सभी लेखों के लेखकों को **₹1500/-** प्रत्येक का नकद मानदेय

7. गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के पुरस्कार/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास): (वर्ष 2010 से शुरु)

वार्षिक कार्यान्वयन से प्राप्त पुरस्कार के आधार पर नकद पुरस्कार	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग	₹5000/-	₹4000/-	₹3000/-
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	₹3000/-	₹2000/-	₹1000/-

8. यूनियन बैंक मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना: (स्टाफ परिपत्र क्रमांक 4000, दिनांक 07 अगस्त 1993 से आरंभ)

बैंक के सभी कर्मचारी, अधिकारी तथा सेवानिवृत सभी कार्मिक पात्र	**₹25000/-** का एकमुश्त अनुदान तथा पुस्तक की 200 प्रतियों की खरीदी बैंक करेगा।

9. यूनियन धारा में स्टाफ द्वारा सहभागिता हेतु प्रोत्साहन योजनाएं:

(स्टाफ परिपत्र क्रमांक 8303/2024 दिनांक 12.06.2024)

विवरण	राशि
I. मानदेय (प्रति अंक)	
1. लेख (02 या अधिक पृष्ठ)	2500/-
2. लेख (01 पृष्ठ से ज्यादा किन्तु 02 पेज से कम)	2000/-
3. लेख (01 पेज)	1200/-
4. फिलर लेख (500 शब्दों से कम)	1000/-
5. कविता	1200/-
6. सेंटर स्प्रेड	3500/-

7. फ़ेस इन यूनियन बैंक क्राउड तथा साक्षात्कार	3000/–
8. हेल्थ टिप्स / आयुष्मान भवः/ व्यंजन /लघु स्तंभ	1200/–
9. कार्टून (प्रति फ्रेम)	1200/–
10. बैक कवर फोटो एवं प्रतियोगिता फोटो	2000/–
11.'सेवानिवृत्त जीवन से' के अंतर्गत सेवानिवृत स्टाफ सदस्यों के योगदान के लिए भी उपर्युक्त मानदेय लागू है	
II. मानदेय प्रूफ रीडर के लिए (प्रति अंक)	
हिंदी/अंग्रेजी प्रूफ रीडर (प्रत्येक प्रूफ रीडर प्रति अंक)	2500/–
III. प्रोत्साहन मानदेय (प्रति अंक)	
1. उत्कृष्ट लेख हिंदी और अंग्रेजी (दोनों में एक – एक)	2500/–
2. उत्कृष्ट कविता हिंदी और अंग्रेजी (दोनों में एक – एक)	1200/–
IV. फोटो प्रतियोगिता पुरस्कार	
1. प्रथम पुरस्कार (हिंदी और अंग्रेजी में)	2000/–
2. द्वितीय पुरस्कार (हिंदी और अंग्रेजी में)	1500/–
3. तृतीय पुरस्कार (हिंदी और अंग्रेजी में)	1000/–
4. सांत्वना पुरस्कार (हिंदी और अंग्रेजी में)	750/–
V. प्रतियोगिता प्रविष्टियाँ जांचकर्ताओं के लिए मानदेय / प्रविष्टियों के लिए पुरस्कार योजना	1500/–
VI. वार्षिक प्रोत्साहन योजना (वित्तीय वर्ष के सभी चारों अंकों आधार पर)	
1. उत्कृष्ट लेख हिंदी और अंग्रेजी (दोनों में से एक–एक)	3000/–
2. उत्कृष्ट कविता हिंदी और अंग्रेजी (दोनों में से एक–एक)	2000/–
3. उत्कृष्ट साक्षात्कार	3500/–
4. उत्तम फोटो फीचर	4000/–
5. उत्तम फोटो प्रविष्टि	3000/–
VII.स्टार संवाददाता योजना	
1. यूनियन स्टार संवाददाता प्रथम	7500/–
2. यूनियन स्टार संवाददाता द्वितीय (क+ख क्षेत्र)	5000/–
3. यूनियन स्टार संवाददाता द्वितीय (ग क्षेत्र)	5000/–

4. यूनियन स्टार संवाददाता तृतीय (क+ख क्षेत्र)	3000/–
5. यूनियन स्टार संवाददाता तृतीय (ग क्षेत्र)	3000/–
6. यूनियन स्टार संवाददाता (अंचल कार्यालय)	5000/–
7. स्वर्ण स्टार संवाददाता – उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु चयनित 25 संवाददाताओं को प्रमाण पत्र	
8. रजत स्टार संवाददाता – उपर्युक्त के अतिरिक्त नियमित योगदान देनेवाले 20 संवाददाताओं को प्रमाण पत्र	

10. बजट संबंधी प्रावधान :

1. हिंदी गृह पत्रिका प्रकाशन: तिमाही बजट प्रावधान:

(परिपत्र पत्र क्र. **0316 – 18.01.2023**)

अंचल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की संयुक्त पत्रिका हेतु, क्षेत्रीय कार्यालय तथा यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र हेतु	**₹25,000.00 (50 प्रतियों के मुद्रण हेतु)**
पत्रिका में प्रकाशित लेख हेतु मानदेय	
1. लेख (02 या अधिक पृष्ठ)	₹1500/–
2. लेख (01 पृष्ठ)	₹750/–
3. कविता, कार्टून एकल, स्वास्थ्य नुस्खे, व्यंजन	₹750/–
4. फिलर आइटम	₹500/–

2. हिंदी कार्यशाला आयोजन हेतु बजट प्रावधान: (परिपत्र पत्र क्र 0313 – 28.12.2022)

न्यूनतम 20 प्रतिभागी अधिकतम 35 प्रतिभागी	**भोजन व्यय प्रति प्रतिभागी**	**लेखन सामग्री, बैनर आदि विविध व्यय**	**अतिथि संकाय हेतु मानदेय–अधिकतम दो संकाय –90 मिनट का प्रत्येक सत्र प्रति संकाय**
महानगर	₹600/–	₹5000/–	₹2500/–
ए श्रेणी के शहर व राज्य की राजधानियां	₹450/–	₹4000/–	₹2500/–
अन्य शहर	₹300/–	₹3000/–	₹2500/–

3. पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों की खरीद:

भाषिक क्षेत्र	अंचल कार्यालय (वार्षिक)	क्षेत्रीय कार्यालय (वार्षिक)	प्रति शाखा (वार्षिक)
'क' क्षेत्र	₹3000/-	₹2500/-	₹2000
'ख' क्षेत्र	₹2500/-	₹2000/-	₹1500
'ग' क्षेत्र	₹2000/-	₹1500/-	₹1000

औसतन प्रति क्षेत्रीय कार्यालय लगभग रु. 1 लाख से अधिक राशि प्रति वर्ष हिंदी पुस्तकों के क्रय पर व्यय किया जाता है।

4. हिंदी दिवस समारोह आयोजन हेतु बजट प्रावधान (प्रतिवर्ष)

अंचल कार्यालय	सभी महानगरीय क्षेत्रीय कार्यालय	एरिया-1 व राज्य की राजधानी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय	अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालय	यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र	अन्य अंचलीय ज्ञानार्जन केंद्र
₹30000/-	₹80,000/-	₹60,000/-	₹ 50,000/-	₹40,000/-	₹15,000/-

अनेक्स कार्यालयों हेतु हिंदी समारोह हेतु बजट

कार्यालय	बजट राशि
के.का. अनेक्स कार्यालय, हैदराबाद	₹1,00,000/-
के.का. अनेक्स कार्यालय, मंगलूरु	₹1,00,000/-
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पवई	₹50,000/-

राजभाषा नीति कार्यान्वयन की मुख्य मदें:

- कार्यालय / शाखा / विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करना एवं प्रत्येक तिमाही के दूसरे माह में 90 दिनों के अंतर पर नियमित बैठकों का आयोजन कार्यालय/शाखा प्रमुख की अध्यक्षता में करना।
- केवल क क्षेत्र में परिचालित किए जाने वाले बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त को छोड़कर सभी बैठकों आदि की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त द्विभाषी में जारी किया जाना।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम "के" अनुसार विभिन्न मदों में आबंटित लक्ष्यों की चर्चा करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस प्रयास करना।

- प्रत्येक तिमाही में तिमाही प्रगति रिपोर्ट कोर राजभाषा सोल्यूशन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना एवं गृह मंत्रालय को रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण।
- प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन (क्लास रुम/व्यावहारिक/कम्प्यूटर आधारित)
- ऑनलाइन पत्राचार प्रबंधन मॉड्यूल का प्रयोग करना।
- स्टेशनरी में प्रयोग की जाने वाली मदें द्विभाषिक हों (बैंक कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखन सामग्री, रजिस्टर, फाइलें, विभिन्न खाते खोलने के फार्म, ऋण आवेदन आदि।)
- विभिन्न अवसरों पर निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेज द्विभाषिक हों।
- धारा **3(3)** के तहत जारी दस्तावेजों के व्यवस्थित रिकार्ड की व्यवस्था। हिंदी पत्राचार, आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग एवं हिंदी में टिप्पण को बढावा।
- कर्मचारियों को प्रशिक्षण (कार्यसाधक ज्ञान/टंकण/ हिंदी सॉफ्टवेयर आदि)
- राजभाषा निरीक्षण (शाखा/कार्यालय) – 100 % एवं डेस्क प्रशिक्षण
- सेठ सीताराम पोद्दार शील्ड/नराकास राजभाषा शील्ड रिपोर्ट प्रेषण (वार्षिक)
- शाखा स्तरीय राजभाषा शील्ड की समय पर घोषणा (वार्षिक)
- धारा–3(3), नियम 5 एवं अन्य रिकार्ड का रखरखाव (आवधिक रिपोर्ट एवं बाहरी निरीक्षणों हेतु)
- हिंदी पुस्तकें एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं की खरीद (कार्यालय एवं शाखाएं)।
- छमाही क्षेत्रीय गृह पत्रिकाओं का नियमपूर्वक समय पर प्रकाशन करना।
- उपकरणों की खरीद (टाइपराइटर/कम्प्यूटर द्विभाषिक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था सहित)।
- सभी कम्प्यूटरों पर यूनिकोड हिंदी टाईपिंग की उपलब्धता।
- कार्यक्रमों का आयोजन (विविध हिंदी व अन्य प्रतियोगिताएं/कार्यक्रम)।
- शाखाओं/कार्यालयों एवं वर्टिकलों में जाँच बिंदु हेतु केंका परिपत्र 9898 दिनांक 29.03.2014 का पालन करना।
- प्रकाशन (संदर्भ प्रकाशन, गृह पत्रिका प्रकाशन व अन्य प्रकाशन)।
- नामबोर्ड/रबर स्टाम्प में द्विभाषिकता/त्रिभाषिकता का अनुपालन हो.– पत्राचार मदें (बैनर, होर्डिंग्स, प्रचार सामग्री, प्रेस विज्ञप्ति, नोटिस, विज्ञापन, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड, नेमप्लेट, नाम बोर्ड, काउन्टर/ केबिन नेम बोर्ड, परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड, अन्य सूचना/प्रचार बोर्ड आदि)

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठकों में कार्यालय/शाखा प्रमुख द्वारा बैठकों में अनिवार्य प्रतिभागिता करना.
- नराकास संयोजक के रूप में बैठकों का कैलेण्डर अनुसार आयोजन एवं समय पर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं आदि में बैंक का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब अनिवार्यतः हिंदी में देना तथा अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का जबाब भी हिंदी में दिए जाने को बढ़ावा देना।
- जो भी विज्ञापन अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में दिए जा रहे हैं उन्हें अनिवार्यतः हिंदी में भी दिया जाए।
- बैंक की वेबसाइट में हिंदी की सामग्री को अद्यतन रखना एवं हिंदी में हिट्स बढ़ाने हेतु प्रयास करना।
- आंतरिक एवं बाह्य राजभाषा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करना एवं प्राप्त रिपोर्ट पर समय पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करना।
- शाखा/कार्यालयों को – पात्रतानुसार राजभाषा नियम **10(4)** में अधिसूचित किए जाने हेतु संस्तुत करना व चिन्हित कार्यों को हिंदी में किए जाने हेतु नियम **8(4)** के तहत विनिर्दिष्ट करना।
- बैंकिंग विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में हिंदी में मिश्रित भाषा में व्याख्यान हेतु पहल।
- स्टाफ सदस्यों हेतु यथा लागू स्थानीय भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
- उपहार, भेंट हेतु तैयार की जाने वाली प्रचार सामग्री पर बैंक का नाम द्विभाषिक/त्रिभाषिक प्रिंट कराना।
- प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि हेतु हिंदी में पॉवर पॉइन्ट तैयार करना।
- प्रशिक्षण के लिए पाठ्य सामग्री (हैंडआउट्स) द्विभाषिक तैयार करना।
- **14 सितम्बर** को हिंदी दिवस मनाना एवं हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं व मुख्य हिंदी दिवस समारोह आयोजित करना।
- प्रतिवर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन।
- गृह पत्रिकाओं हेतु संवाददाताओं का नामांकन करना।
- प्रतिवर्ष अखिल भारतीय यूनियन धारा एवं सृजन सम्मेलन का आयोजन।
- प्रतिदिन एक हिंदी शब्द एवं सुविचार का पालन। बुधवार को साइबर सुरक्षा से जुड़े शब्द लिखा जाना।
- प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को हिंदी दिन का आयोजन।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त पुरस्कार

कीर्ति पुरस्कार (पूर्व में इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार)

क्र	वर्ष	पुरस्कार
1	2001–2002	प्रथम
2	2002–2003	द्वितीय
3	2003–2004	द्वितीय
4	2004–2005	प्रोत्साहन
5	2007–2008	प्रोत्साहन
6	2008–2009	प्रथम
7	2009–2010	द्वितीय
8	2010–2011	द्वितीय
9	2012–2013	द्वितीय
10	2013–2014	प्रथम
11	2014–2015	द्वितीय
12	2020–2021	तृतीय

गृह पत्रिकाओं हेतु कीर्ति पुरस्कार (पूर्व में इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार)

क्र	वर्ष	पत्रिका का नाम	पुरस्कार
1	2012–2013	यूनियन धारा	द्वितीय
2	2014–2015	यूनियन सृजन	द्वितीय
3	2018–2019	यूनियन सृजन	द्वितीय

- यूनियन बैंक पूरे भारत में कुल 28 स्थानों पर नराकास का संयोजक कार्यालय है।
- बैंक में कोर राजभाषा सोल्यूशन पोर्टल के माध्यम से राजभाषा की रिपोर्टिंग एवं रिकार्ड का रखरखाव पूर्णतः ऑनलाइन है।
- बैंक की पत्राचार प्रबंधन प्रणाली ऑनलाइन है।
- बैंक की मोबाइल बैंकिंग एवं एसएमएस सेवाओं आदि में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकल्प उपलब्ध हैं।
- बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है।

- बैंक के कई ई–उत्पादों एवं कॉल सेंटर आदि में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है।
- बैंक द्वारा अब तक 23 कार्टून पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।
- बैंक द्वारा प्रतिवर्ष 135 क्षेत्रीय हिंदी गृह पत्रिकाओं एवं बैंकिंग विषयों पर 193 संदर्भ साहित्य का प्रकाशन किया जाता है।
- बैंक द्वारा क्षेत्रीय भाषा में व्यावहारिक भाषा ज्ञान हेतु 7 भाषाओं में पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है।
- बैंक की आंतरिक पोर्टल पर सभी शब्दकोश एवं राजभाषा नियम आदि उपलब्ध हैं।
- बैंक की कॉर्पोरेट गृह पत्रिकाएं – यूनियन सृजन एवं यूनियन धारा पत्रिकाएं (प्रत्येक तिमाही प्रका) तथा कार्टून पुस्तिकाएं बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। समय–समय पर इनमें विशेषांकों का प्रकाशन किया जाता है।
- बैंक द्वारा विभिन्न बैंकिंग विषयों पर विविध आयाम शृंखला के तहत अब तक 13 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।
- मौलिक पुस्तक लेखन योजना के तहत अब तक बैंक द्वारा 5 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इनमें से 2 पुस्तकों को राजभाषा गौरव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

नोट

नोट

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank
of India
A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक राजभाषा मिशन

- बैंक के सभी दैनिक कार्य हिंदी में करना तथा सभी को प्रेम एवं सद्भावना से हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करना।
- भारत सरकार की राजभाषा नीति का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना।
- यूनीकोड के माध्यम से बैंक की सभी शाखाओं में हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि करना।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी को राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं से जोड़ कर बैंकिंग को जन-उन्मुख बनाते हुए सर्वश्रेष्ठ एवं अनुकरणीय ग्राहक सेवा प्रदान करना।
- राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी लक्ष्यों को पार करना।

यूनियन बैंक राजभाषा प्रतिज्ञा

"हम, यूनियनाइटस, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु निरंतर कार्य करेंगे। हम स्वयं भी हिंदी में अधिकाधिक कार्य करेंगे तथा अपने साथियों को भी हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करेंगे। हम राजभाषा में काम करके गर्व का अनुभव करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम राजभाषा अधिनियम एवं नियम तथा राजभाषा हिंदी संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को पार करके हिंदी के प्रयोग में अपने बैंक को अनुकरणीय बनाएंगे।"

हमारा ध्येय

हिंदी में बैंकिंग—बैंकिंग में हिंदी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

डिजिटल बैंकिंग का असीमित संसार

VYOM

मोबाइल बैंकिंग सुपर एप

370+ से अधिक सुविधाएं

त्वरित सेवा!

(टोल फ्री नंबर) 1800 208 2244 / 1800 425 1515 / 1800 425 3555 | 9566606060 | www.unionbankofindia.co.in

@unionbankofindia @UnionBankTweets unionbankofindia @UnionBankofIndiaOfficial @unionbankofindia @unionbankindia